POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 24.05.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र से जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 01 कारतूस .32 बोर व घटना में प्रयुक्त थार कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.05.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र से वादी पर जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्त 1. हिमांशु चौधरी पुत्र रामबीर सिंह 2. अखिल उरमलिया पुत्र रामनिवास उरमलिया को डेल्टा-3 की सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त हिमांशु चौधरी के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 01 कारतूस .32 बोर व अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त थार कार रजि0नं0 MP19CC3300 को बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 24.05.2025 को थाना सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अभियुक्तों की कार थार को साइड न देने को लेकर कहा-सुनी हो गयी तब अभियुक्त हिमांशु चौधरी द्वारा अपनी थार में बैठकर अपने पास लिए अवैध पिस्टल से वादी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया व अपनी थार को लेकर फरार हो गये। वादी के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- हिमांशु चौधरी पुत्र रामबीर सिंह निवासी ग्राम नगला लोधई, थाना जहाँगीराबाद, बुलंदशहर वर्तमान पता डेल्टा-2, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 31 वर्ष।
2- अखिल उरमलिया पुत्र रामनिवास उरमलिया निवासी ग्राम भेडा, थाना नादंन देहात, मैहर, सतना (मध्य प्रदेश) वर्तमान पता हाल सेक्टर-104, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 299/2025 धारा 109/126(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 अवैध पिस्टल मय 01 कारतूस .32 बोर
2- घटना में प्रयुक्त थार रजि0नं0 MP19CC3300

2. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा ठक-ठक गैंग का गैंगस्टर एक्ट में 20000 रुपये का इनामी/ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.05.2025** को थाना **सेक्टर-58 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ठक-ठक गैंग का गैंगस्टर एक्ट में 20000 रुपये का इनामी/ वांछित अभियुक्त आसिम उर्फ हाशिम उर्फ लड्डन पुत्र यामीन को मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर-59 के पास से **गिरफ्तार** किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- इस गैंग द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ट्रेफिक सिग्नल की रेड-लाइट होने पर जब गाड़ियां रुक जाती थी तो मौके का फायदा उठाकर गैंग का एक सदस्य गाड़ी का शीशा खटखटाता था जिससे गाड़ी चालक अपनी गाड़ी का शीशे को नीचे उतारता था तो उसे पीछे रोड पर एक्सीडेंट करने का बहाना बताकर अपनी बातो में उलझाकर रखता था। तभी इस गैंग का अन्य सदस्य गाड़ी से मोबाइल फोन, लेपटॉप व अन्य कीमती सामान चुरा लिया करते थे। ऐसी आपराधिक गतिविधियो अंकुश लगाने हेतु गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए थाना सेक्टर-58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें अभियक्त आसिम उर्फ हाशिम उर्फ लड्डन वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 20,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरण--

आसिम उर्फ हाशिम उर्फ लड्डन पुत्र यामीन निवासी श्याम नगर. थाना रेलवे रोड, मेरठ।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-02/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-358/2024 धारा 109, 317(5), 3(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-345/2024 धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-346/2024 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-209/2024 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस, थाना सेक्टर-126, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-240/21 धारा 392, 411 भादवि, थाना देहली गेट, मेरठ।
7. मु0अ0सं0-1020/18 धारा 379, 411 भादवि, थाना नौचंदी, मेरठ।
8. मु0अ0सं0-85/21 धारा 411, 414 भादवि, थाना रेलवे रोड, मेरठ।
9. मु0अ0सं0-294/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना रेलवे रोड, मेरठ।
10. मु0अ0सं0-672/20 धारा 379, 411 भादवि, थाना लालकुर्ती, मेरठ।

3. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा प्रतिबंधित कछुओं की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 33 प्रतिबंधित कछुए बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.05.2025** को **थाना बीटा-2 पुलिस** द्वारा प्रतिबंधित कछुओं की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1. रिंकू पुत्र श्रवण 2. सोनू पुत्र अखिलेश को ग्राम नट मढैय्या के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 33 प्रतिबंधित कछुए बरामद किये गये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 24.05.2025 को एनीमल वैलफेयर एनजीओ के सदस्य द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कछुओं की बिक्री हेतु तस्करी की जा रही है। वादी की सूचना पर थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 02 अभियुक्तों को 33 प्रतिबंधित कछुए सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामद 33 कछुओं को वन-विभाग की टीम बुलाकर सुपुर्द किया गया।

अपराध करने का तरीका--

अभियुक्तों द्वारा ऑर्डर मिलने पर प्रतिबंधित कछुओ को पकड़कर महंगे दामों मे बेचने हेतु तस्करी किया करते थे। पूर्व मे भी गिरफ्तार अभियुक्त का अन्य साथी भीम 100 कछुओं के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रिंकू पुत्र श्रवण निवासी ग्राम रती, थाना गढ मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ वर्तमान पता झुग्गी नट मढैय्या, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2. सोनू पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम रती, थाना गढ मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ वर्तमान पता झुग्गी नट मढैय्या, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 239/25 धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

33 प्रतिबंधित कछुए

4.थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नेचिंग/ चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 51 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.05.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नेचिंग/ चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. मंयक पुत्र राजवीर सिंह 2. नजरुल पुत्र असलम को शमशान वाली सड़क पर बने गन्दें नाले के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 51 मोबाइलफोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 स्कूटी बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका--

अभियुक्तों द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले बाजारों, सब्जी/फलों की मण्डियों व साप्ताहिक बाजारों में चोरी के वाहन का इस्तेमाल कर रास्तें में चलते हुए व्यक्तियों के मोबाइल फोन चोरी करने व छीनने की घटना कारित करते थे एवं मोबाइल फोन एकत्रित हो जाने पर अपने- अपने जनपद व दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में राह चलते लोगों को बेच दिया करते थे।

1. अभियुक्तों द्वारा नियमित रूप से लगने वाली मण्डी तथा साप्ताहिक बाजार में आने वाले ग्राहक विशेषकर बुजुर्गो एवं महिलाओं को टारगेट किया जाता था।
2. अभियुक्त गण ग्राहकों के ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा किया करते थे तथा ध्यान भंग होने के बाद उनके मोबाइलफोन चोरी करके गायब हो जाते थे।
3. अभियुक्तों द्वारा अधिक मात्रा में मोबाइल एकत्रित हो जाने के बाद अपने जनपद शाहजहांपुर, अलीगढ़ व दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ले जाकर मजबूरी का बहाना बताकर किसी राह चलते राहगीर को सस्ते दामों में बेच देते है।
4. अभियुक्तों द्वारा पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते थे।
5. अभियुक्तों का कोई निश्चित ग्राहक नही होता था। जहाँ इनको अधिक दाम मिलता था वही बेच देते थे।
6. अभियुक्तों द्वारा पकड़े जाने के डर से व्हाट्सएप कॉल का प्रयोग किया जाता था ताकि पुलिस इनको ट्रेक न कर सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मंयक पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम सिखरेहन, थाना कांठ, शहाजहांपुर वर्तमान पता भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. नजरुल पुत्र असलम निवासी ग्राम कोड़ियागंज, थाना अकराबाद, अलीगढ़ वर्तमान पता भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त मंयक--**

1. मु0अ0सं0 47/2025 धारा 304 बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 219/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3. मु0अ0सं0 245/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

➢ **अभियुक्त नजरुल--**

1. मु0अ0सं0 219/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 245/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 मोबाइलफोन सम्बन्धित मु0अ0सं0 245/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. स्नेचिंग/ चोरी के 50 मोबाइल फोन
3. स्कूटी एक्टिवा रजि0नं0-UP14DZ7528 सम्बन्धित मु0अ0सं0 219/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में 20000 रुपये का इनामी/ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.05.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में 20000 रुपये का इनामी/ वांछित अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा को मदर डेयरी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

विकास शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव, सिद्धार्थ विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 279/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सेक्टर-20 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 37/2024 धारा 8/20/27ए एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-20 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।